फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़

कैलाश बनाम सरकार जरिये तहसीलदार

केस संख्या 47/2024 अपील अन्तर्गत धारा 1956

क्र0 सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	06.09.2024	पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण में आवाज लगाई गई। बार–बार आवाज लगाने पर अपीलाण्ट स्वयं व उनके अधिवक्ता कोई भी उपस्थित नही है जबकि अपीलाण्ट को बहस हेतु अन्तिम अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नही है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा तहत के रिकार्ड का अवलोकन पर पाया गया कि अपीलाण्ट के द्वारा आराजी खसरा नम्बर 205 रकबा 0.05 हैक्ट. चारागाह राजकीय भूमि ग्राम माजरीखुर्द तहसील नीमराणा पर अतिक्रमण कर अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है जिसके लिए अपीलाण्ट को अतिक्रमण/कब्जा करने का कोई अधिकार नही है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज की जाती हैं। निर्णय प्रति के साथ तहत न्यायालय की पत्रावली वापस भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो। निर्णय आज दिनांक 06.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड	